तारीख हुक्म	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या 931/15 अनवान सलीमखां बनाम जयपुर वगैरह प्र.कि. आदि बिकानेर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी

राज्य सरकार के निर्देशनुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर भाड़खा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 4.5.18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर भाड़खा पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाड़मेर

ओदश

04.05.2018

सलीमखां

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र भाड़खा पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 131, 136 के तहत तरमीम दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 01 गलत तरमीम के आधार पर अपने पक्ष में नेखमबन्दी करवाने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में उक्त नेखमबन्दी प्रक्रिया को न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक स्थिगित रखे जाने एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रकरण पंजीयक कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण के पुष्त पर अंकित अक्ष के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नेखमबन्दी की कार्रवाई को रोके जाने का कोई आधार नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाड़मेर

Scanned by CamScanner